

फर्द अहकाम

2021/255

द्वारा

बनाम

आलय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 129/21

क्रमांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------------------	----------------------	-------------

16/11/21

ज. डी का वादवादी के अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा द्वारा निम्नलिखित प्रतिवादीगण के वाद पत्र अर्थात् खाल 88, 89, 188 आर. डी. एम्. के पेश किया गया। वाद पत्र की रजिस्ट्रेशन प्रतिवादी गण को तबकी धारि रजिस्ट्रेशन नोटिस से वादवादी द्वारा पत्रावली क्रि. 13.12.21 को पेश हो।



सहायक कलक्टर बस्सी

DN
24/23-32
24/11/21

13/12/21

पत्रावली आज प्रशासन जंको के संग अधिवक्ता केम्प मूंडली में पेश हुई। प्रतिवादी गणदीय उपस्थित। प्रतिवादी को वाद पत्र पर सुना गया पत्रावली के अवलोकन से समझा जा रही है कि सं. 15 में ग्रह वहीत किया है 80(2) सी.पी.डी. का प्रयोग वाद पत्र पेश करने की अनुमति हेतु अलग से पेश है परन्तु समझ जा रही है उक्त प्रयोग 80(2) CPC का प्रयोग पत्रावली में शामिल नहीं किया है। वादी ने वाद पत्र के क्रि. के सम्बन्ध में सकार से कोषणा की दिखी है वादी को सकार से शपथ दिमाई में दुबली से पहिले सकार को नोटिस देना चाहिए एवं 80(2) CPC का प्रयोग पत्र पेश करना चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से वादी द्वारा न तो 80(2) CPC का नोटिस दिया है एवं नही प्रयोग पेश किया है। ए.डी. क्रि. में वादी द्वारा वाद पत्र के सम्बन्ध में दस्तावेजों न पेश करते अभाव में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है



फर्द अहकाम

2021/055

दस्तावेज बनाम वाक्यात

मालिय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 129/21

क्रमांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------------------------	----------------------	-------------

16/11/21

ज. श्री का वाक्याती के अधिनियम की विवेक शक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रतिवादीगण के वाड पत्र अधिनियम 88, 89, 1986 आर. टी. एम्. के पेश किया गया। वाड पत्र की रजिस्ट्रार होमल प्रतिवादी गण को तबकी जारी रजिस्ट्रार की नोटिस से वाक्याती के वाड पत्रबली क्रमांक 13-12-21 को पेश हो।

(Signature)

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

DR

24/23-32

24/11/21

13/12/21

पत्रबली आज्ञा प्रशासन जंको के मांग अधिपार के मांग मुंडली में पेश हुई। प्रतिवादी गणदीय उपस्थित। प्रतिवादी को वाड पत्र पर सुना गया पत्रबली के अवलोकन से बमोख वादी द्वारा पेश सं. 15 में ग्राह वहीत किया है (80(2) सी.पी.ए. का प्रवर्तन पत्र वाड पत्र पेश करने की अनुमति हेतु अलग से पेश है परन्तु बमोख वादी ने उक्त मुंडली 80(1) CPC का प्रवर्तन पत्र पत्रबली में शामिल नहीं किया है। वादी ने वाड पत्र के अधिकार में संकलन से योजना की रिक्वाय-वली है वादी को संकलन से शक्य रिमांड में दुयती से पहिले संकलन को नोटिस देना चाहिए एवं 80(1) CPC का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए। पत्रबली के अवलोकन से वादी द्वारा न तो 80(1) CPC का नोटिस दिया है एवं वादी प्रवर्तन पत्र पेश किया है। ए.पी. सिद्धि में वादी द्वारा वाड पत्र अधिकार के संकलन एवं दस्तावेजों न पेश करने अज्ञान में वादी का वाड रवायिन विरोधको रोजप होते से रवायिन किया जाता है

(Signature)

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर